12-09-17

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0। आरोपी निरोध में जेल गोहद से मय वारण्ट

पेश की ओर से अधिवक्ता श्री बी०एस0यादव उप०।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। प्रकरण में अभियोजन साक्षी स्रजभान अ०सा०३

साक्ष्य हेतु उप0 जिसे परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया।

आज दिनांक को फरियादी सूरजभान उप0 हैं। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा द्वारा की गयी है।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि बह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं आज दिनांक को फरियादी सूरजभान उप0 है फरियादी द्वारा व्यक्त किया गया है कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है। चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है। अतः उक्त प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी श्री पंकज शर्मा के न्यायालय में भेजा जाता है। इस संबंध में रिफरल ऑर्डर जारी किया जावे।

उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह मीडिएशन हेतु न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी श्री पंकज शर्मा के न्यायालय में उपस्थित रहें।

प्रकरण मीडिएशन रिर्पोट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो।

> सही / — जे०एम०एफ०सी०, गोहद

पुनश्चः

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0 आरोपी निरोध में जेल गोहद से मय वारण्ट पेश की ओर से अधिवक्ता श्री बी०एस0यादव उप0। प्रकरण में मीडियेशन रिपोर्ट प्राप्त। अभिलेख में संलग्न की गयी।

फरियादी सूरजभान उपस्थित हैं। इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा दप्रस की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमित चाही गयी। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी पर भा0द0स0 की धारा 504, 325, के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। भादस की धारा 504, 325 न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। फरियादी सूरजभान ने आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप हैं। अतः बाद विचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राजीनामें के आधार पर आरोपी मुकेश को भादस की धारा 504 एवं 325 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अारोपी के जेल वारण्ट पर आरोपी की दोषमुक्ति के सबंध में टीप अंकित की जावे।

प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार भेजा जावे।

> सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी, गोहद

जप्मपुष्पा, गाहव क्रिकेट के किंद्रिक के क